



भारत में लोकतांत्रिक परंपरा: प्राचीन एवं मध्य काल के विशेष संदर्भ में

क्षमा शिल्पा चौहान, राजनीति विज्ञान

शासकीय राजीव लोचन स्नातकोत्तर महाविद्यालय, राजिम, गरियाबंद, छत्तीसगढ़, भारत

ORIGINAL ARTICLE



Author

क्षमा शिल्पा चौहान

E-mail : kmasih86@gmail.com

shodhsamagam1@gmail.com

Received on : 17/03/2026
Revised on : 18/05/2026
Accepted on : 27/05/2026
Overall Similarity : 00% on 19/05/2026



Plagiarism Checker X - Report

Originality Assessment

0%

Overall Similarity

Date: May 19, 2026 (02:43 PM)
Matches: 0 / 3277 words
Sources: 0

Remarks: No similarity found,
your document looks healthy.

Verify Report:
Scan this QR Code



शोध सार

भारत में लोकतंत्र की परंपरा बहुत पुरानी है, वैदिक काल से ही लोकतांत्रिक परंपराओं का शुरुआत हो चुका था। ऋग्वेद एवं अथर्ववेद में प्रशासन में जन भागीदारी के उदाहरण मिलते हैं। सभा, समिति, प्रजा कल्याण, प्रजा के प्रति उत्तरदायित्व इनका उल्लेख वेदों में मिलता है। यह सभी गुण लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं से जुड़े हुए हैं। समय के साथ-साथ भारत में लोकतांत्रिक परंपराओं का विकास होते गया है। यद्यपि वर्तमान लोकतंत्र के जैसे प्रजा के द्वारा शासन का संचालन नहीं दिखाई देता फिर भी लोकतंत्र के अंश प्राचीन राजतंत्र में भी विद्यमान रहे हैं। स्थानीय प्रशासन प्राचीन काल से ही पंचायत के द्वारा संचालित किया जाता था एवं जन सहभागिता के गुण प्राचीन काल से ही ग्रामों में विद्यमान रहे हैं। रामायण में श्री राम का राज्य आदर्श राज्य था। वर्तमान लोकतांत्रिक प्रणाली में भी हम आदर्श राज्य राम राज्य की संकल्पना करते हैं। महाभारत में धर्म, नीति व्यावहारिक शासन कूटनीति पर प्रकाश डाला गया है जो वर्तमान में भी प्रासंगिक है। गीता में कर्तव्य प्रधान रहने का संदेश दिया गया है। बौद्ध काल में स्वतंत्र गणराज्य का उल्लेख मिलता है 16 महाजनपदों में गणतांत्रिक प्रणाली प्रचलित थी। जनता सुखी थी और प्रशासन में आम जनता सहभागी होती थी। वर्तमान प्रचलित लोकतांत्रिक प्रणाली की जड़े प्राचीन भारत में दिखाई देती हैं। जनता का कल्याण करना, प्रशासन में जनता का सहभागी होना, ग्राम पंचायत प्रणाली व्यवस्था, राजा का कर्तव्यशील होना आदि लोकतांत्रिक परंपराएं सदियों से भारत में चली आ रही है।

मुख्य शब्द

लोकतंत्र, परंपराएं, समिति, जनसहभागिता, जवाबदेहिता, स्वतंत्र न्याय प्रणाली.

प्रस्तावना

लोकतंत्र अर्थात् डेमोक्रेसी शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है डेमोस अर्थात् जनसाधारण क्रेसी अर्थात् सरकार या शासन है। इस प्रकार लोकतंत्र शब्द का मूल अर्थ जनसाधारण अथवा जनता का शासन है। भारत में लोकतंत्र के इतिहास

बहुत पुराना है। भारतीय लोकतंत्र में प्रजा कल्याण की अवधारणा प्राचीन काल से चली आ रही है। प्राचीन भारत में राजतंत्र हुआ करते थे, जिसमें राजा प्रजा का संबंध पिता पुत्र के तुल्य बताया गया है। प्राचीन ग्रंथों में राज धर्म और प्रजा धर्म को अलग-अलग किया गया है। भारतीय लोकतंत्र में समानता, न्याय, जनभागीदारी, शासन में जनसहभागिता के गुण आसानी से दिखाई पड़ते हैं। वैदिक युग में ऋग्वेद एवं अथर्ववेद में सभा, समिति एवं सदन जैसे निकायों का उल्लेख मिलता है। महाकाव्य काल में रामायण में आदर्श राजा के रूप में श्री राम का वर्णन है जिसे आदर्श राजा माना जाता है जिसके लिए प्रजा कल्याण सर्वोपरि रहा है। महाभारत में धर्म, नीति, व्यवहार, शासन पर प्रकाश डाला गया है। गीता के ज्ञान के रूप में कर्तव्य परायण रहने का ज्ञान प्रदान किया गया है। महाजनपद काल में प्राचीन भारतीय शासन प्रणाली व्यक्तियों के सामूहिक शासन, परिषद पर प्रकाश डाला गया है। अष्टाध्यायी जैसे ग्रंथ गण, पुर, निगम, जनपद का वर्णन करते हैं। जैनधर्म सत्य, अहिंसा का वर्णन करते हैं, शांतिपूर्ण सह अस्तित्व का समर्थन करते हैं, जिसका पालन आज भी भारत करता है। पांचवीं शताब्दी में स्थापित बौद्ध धर्म में भिक्षु समुदाय के द्वारा लोकतांत्रिक परंपराओं को जीवित रखा गया। सामूहिक वाद विवाद, खुली चर्चा, चुनाव आदि मूल्यों को बढ़ावा दिया। महासम्मत का चुनाव सहभागी शासन की दिशा में बढ़ता प्रयास था। विभिन्न शिलालेखों में नियमित चुनाव का महत्व बताया गया है। मध्यकाल आते-आते लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं में बदलाव आया। अकबर की सुलह ए कुल की नीति, अशोक का धम्म समय के साथ जनता को शासन की प्रक्रियाओं के साथ जोड़ता चला गया। मराठा शासन काल में लोकतांत्रिक परंपराएं जीवित रही। प्रायः सभी शासनकाल में पंचायती राज के रूप में स्थानीय स्वशासन में लोगों की सहभागिता दिखाई पड़ती है।

अध्ययन के उद्देश्य

प्रस्तुत अध्ययन निम्नलिखित उद्देश्यों पर आधारित हैं:

1. भारत में लोकतंत्र के विकास को समझना।
2. प्राचीन एवं मध्यकालीन लोकतांत्रिक संस्थाओं एवं व्यवस्थाओं का अध्ययन करना।
3. आधुनिक लोकतंत्र पर भारतीय परंपराओं के प्रभाव का विश्लेषण करना।
4. वर्तमान लोकतंत्र की जड़े प्राचीन भारतीय सभ्यता की देन है, इस तथ्य का अध्ययन करना।
5. समानता, स्वतंत्रता, जनसहभागिता लोकतांत्रिक गुणों की निरंतरता को स्पष्ट करना।

अध्ययन की आवश्यकता

भारतीय लोकतान्त्रिक परम्पराओं पर अनेक शोध हुए हैं लेकिन भारत में लोकतान्त्रिक परम्परा प्राचीन एवं मध्य काल के विशेष सन्दर्भ में इस विषय पर अब तक कोई शोध अध्ययन नहीं हुआ है। यह शोध पत्र भारत में वर्तमान लोकतंत्र के स्वरूप को समझने के लिए प्राचीन लोकतांत्रिक परंपराओं का अध्ययन हेतु आवश्यक है। स्थानीय स्वशासन और जन भागीदारी को मजबूत करने के लिए प्राचीन परंपराओं का अध्ययन की उपयोगिता को रेखांकित करेगा। लोकतंत्र की सफलता जनता की भागीदारी, संवाद और उत्तरदायित्व से जुड़ी होती है, यह स्पष्ट करने के लिए अध्ययन की आवश्यकता है। यह शोध युवाओं में लोकतांत्रिक चेतना और जनसहभागिता को बढ़ाने में मदद करेगा।

शोध प्रविधि

प्रस्तुत शोध पत्र में द्वितीयक समकों का उपयोग किया गया है। प्राचीन इतिहास की पुस्तकें, संबंधित शोध पत्र एवं पत्र पत्रिकाओं से सामग्री का संकलन किया गया है।

वैदिक काल लोकतंत्र का प्रारंभ

वैदिक काल में वेदों का अध्ययन करने पर ज्ञात होता है कि लोकतंत्र का प्रारंभ वैदिक काल से ही प्रारंभ हो चुका था। ऋग्वेद में लोकतांत्रिक सिद्धांतों और उसके आदर्श के बारे में बताया गया है, उसे संज्ञान कहा गया है जिसका अर्थ होता है, जनता की सामूहिक चेतना। विभिन्न ऐतिहासिक प्रमाणों से ज्ञात होता है कि निर्णय प्रक्रिया में जनता सहभागी होते थे। बहुमत के द्वारा निर्णय लिया जाता था। ऋग्वेद के अनुसार राजा को अपनी कर्तव्यों का पालन करता करना पड़ता था। राजा निरंकुश नहीं थे, वे नैतिकता की अवहेलना नहीं कर सकते थे।

ऋग्वैदिक काल में राजनीतिक व्यवस्था की सबसे छोटी इकाई कुटुंब थी। अनेक कुटुंब मिलकर ग्राम का निर्माण करते थे। इसी प्रकार विश्व, जन, राष्ट्र का निर्माण होता था। इस काल में राजाओं की स्वेच्छाचारिता पर नियंत्रण करने के लिए सभा

एवं समिति का उल्लेख मिलता है। इन संस्थाओं को व्यापक अधिकार प्राप्त थे तथा उनके होते हुए राजा मनमानी नहीं कर सकते थे। राजाओं को प्रजा हित के लिए शपथ लेना पड़ता था।

अथर्ववेद में लोकतंत्रात्मक शासन पद्धति की कई गुणों का संकेत मिलता है जैसे सभा, समिति, जनकल्याण, प्रजा के प्रति जवाबदेहिता। राजा को सभा और प्रजा के प्रति कर्तव्यों का पालन करना होता था। सभा का विशेष महत्व था। सभा में निर्णय प्रक्रिया खुली होती थी। निर्णय की प्रक्रिया सामूहिक प्रक्रिया थी। राज्य व्यवस्था का आधार प्रजा की सुरक्षा और जनकल्याण होता था।

उत्तर वैदिक काल में लोकतंत्र

उत्तर वैदिक काल में शक्तिशाली राजतंत्र का उदय हुआ। प्रारंभ में राजा का पद पैतृक होता था, लेकिन एतरेय ब्राह्मण में राजा के निर्वाचित होने के प्रमाण भी मिलते हैं। राजा प्रजा के सुरक्षा के लिए उत्तरदायी होते थे। उत्तर वैदिक कालीन प्रशासनिक व्यवस्था का अध्ययन करने से ज्ञात होता है कि उस समय प्रशासनिक व्यवस्था अनेक विभागों में बटी हुई थी। इन विभागों के प्रमुख मंत्री होते थे। मंत्री का पद परंपरा और जनमत पर आधारित होता था। आधुनिक लोकतंत्र में प्रतिनिधि प्रजातंत्र का स्वरूप प्रचलित है। वर्तमान कार्यपालिका भी विभिन्न विभागों के माध्यम से अपने कार्य का निर्वहन करते हैं। सभा एवं समिति सक्रिय थी। राजा सभा, समिति का अनदेखी नहीं कर सकता था। गांव में ही छोटे-मोटे अपराधों का निराकरण ग्राम्यवादिन के माध्यम से हो जाता था।

महाजनपद काल में लोकतांत्रिक परंपराएं

महाजनपद काल आते तक भारत में राजतंत्र के साथ-साथ गणतंत्र स्थापित हो चुका था। बौद्ध साहित्य में 16 महाजनपद का उल्लेख मिलता है। वज्जि, मल्ल संघीय प्रजातंत्रात्मक राज्य थे। बौद्ध एवं जैन साहित्य में 10 गणतंत्र का अस्तित्व स्वीकार किया गया है। शाक्य, कोलिय, मोरिय, मल्ल (पावा) मल्ल (कुशीनगर) बाली, लिच्छवी (वैशाली), विदेह (मिथिला), भग्न इन राज्यों में गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था विद्यमान थी।

बौद्ध कालीन गणराज्य में प्रशासन की वास्तविक शक्ति सभा में निहित थी, जो वास्तव में एक संस्था थी। इसके द्वारा समस्याओं का समाधान किया जाता था। चुनाव के द्वारा निश्चित अवधि के लिए राजा का चुनाव किया जाता था। राज्य सामंतों में बांटा हुआ था। सामंत ही सभा के सदस्य हुआ करते थे। इन गणराज्यों को कौटिल्य सामंतों का संघ कहते थे। सभा की कार्यप्रणाली वर्तमान लोकतांत्रिक व्यवस्था से मेल खाती है। सभा में प्रस्ताव लाए जाते थे विरोध न होने पर प्रस्ताव स्वीकृत हो जाते थे और विरोध होने पर मतदान कराया जाता था। बहुमत का निर्णय स्वीकार कर लिया जाता था। मतदान गुप्त प्रणाली से होते थे। उलझी हुई समस्याग्रस्त प्रस्ताव को जिनकी प्रकृति जटिल होती थी समितियों को सौंप दिया जाता था। वर्तमान समय में भी कानून बनाने हेतु प्रस्ताव लाया जाता है। प्रस्ताव की स्वीकृति हेतु बहुमत से निर्णय लिया जाता है। कानून निर्माण करते समय समितियां द्वारा भली भांति विचार किया जाता है। इन गणतंत्रों में न्याय प्रणाली सुदृढ़ थी बुद्ध घोष द्वारा की गई टीका में वज्जि गणतंत्र में सात प्रकार के न्यायालय का वर्णन किया गया है। सभा की कार्यवाही आधुनिक प्रजातंत्रात्मक संसद के ही समान थी।

भारत में संघ व्यवस्था स्थापित करने का श्रेय बौद्ध धर्म को है। भिक्षुओं के लिए एक संगठन बनाया जाता था, जिसे बौद्ध संघ कहा जाता था। इन संगठनों में बौद्ध भिक्षु अनुशासित रहते थे। उन्हें अपने विचार प्रकट करने की स्वतंत्रता थी। इन संगठनों का आधार लोकतांत्रिक था। इसके माध्यम से जनता में लोकतांत्रिक भावना का संचार हुआ। ए एल बाशम की पुस्तक “द वंडर दैट वाज इंडिया” में बुद्ध के प्रवचन मिलते हैं जिसमें वह वज्जि गणतंत्र की समृद्धि के लिए आवश्यक 7 गुणों के बारे में वर्णन किए हैं जिसमें – सभा में नियमित उपस्थिति, पर्याप्त संख्या में उपस्थिति, सौहाद्रपूर्ण कार्य, नए कानून का निर्माण, बड़ों का आदर, महिलाओं का सम्मान। उनका कहना था कि किसी भी गणतंत्र को लंबे समय तक स्थिर रहने के लिए इन सात बातों का पालन करना चाहिए। डॉ बी आर अंबेडकर बौद्ध धर्म को एक लोकतांत्रिक धर्म मानते थे, उनका कहना था “मेरे सामाजिक दर्शन को तीन शब्दों में समाहित किया जा सकता है स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व उन्हें यह तीनों गुण बौद्ध धर्म में परिलक्षित होते थे।”

जैन धर्म में सभी जीवों के प्रति समानता और सहिष्णुता का वर्णन किया गया है। समानता और बंधुत्व, बहुलतावाद, अहिंसा, स्वतंत्रता, अपरिग्रह, गणतांत्रिक व्यवस्था के संदेश जैन धर्म से प्राप्त होते हैं। जैन धर्म की बहुत बड़ी देन अहिंसा है। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के समय महात्मा गांधी ने स्वराज प्राप्ति के लिए अहिंसा का मार्ग अपनाया। भारत के विदेश नीति एवं लोक नीति में अहिंसा के गुणों को अपनाया गया है। शांतिपूर्ण सह अस्तित्व की नीति जैन धर्म से प्रेरित है।

मौर्य काल में लोकतंत्र

कौटिल्य की सामाजिक कल्याण नीतियां निष्पक्षता और न्याय के सिद्धांत पर आधारित थी। उनका तर्क था कि राज्य का कल्याण और जनता का कल्याण आपस में जुड़े हुए हैं और शासन को दोनों की समृद्धि सुनिश्चित करने के लिए सक्रिय रूप से कार्य करना चाहिए। कौटिल्य के अनुसार राजा के लिए आवश्यक था कि वह प्रजा कल्याण को ध्यान में रखते हुए कार्य करें। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में गणतंत्र के दो रूपों का उल्लेख है पहला आयुध गणतंत्र जिसमें केवल राजा निर्णय लेता था दूसरा केवल गणतंत्र जिसमें लोग निर्णय प्रक्रिया में भाग लेते थे। मेगास्थनीज के विवरण से ज्ञात होता है कि प्राचीन भारत में जन भागीदारी, सामूहिक निर्णय, प्रजा केंद्रित शासन व्यवहार और समितियां थी जो वर्तमान प्रजातंत्रात्मक राज्य के गुणों से मेल खाती थी। हालांकि वर्तमान प्रजातंत्र के आधुनिक गुणों के समान नहीं थी तौभी प्रजातंत्र शासन व्यवस्था के कुछ अंश विद्यमान थे। मेगास्थनीज लिखित इंडिका में मौर्यकालीन समाज और राजनीति का वर्णन मिलता है। पाटलिपुत्र का प्रबंधन एक नगर परिषद द्वारा किया जाता था। जिसमें 6 समितियां थी, जिसमें पांच-पांच सदस्य थे।

सम्राट अशोक के शासनकाल में धम्म के आधार पर जनहितकारी प्रशासन बनाने की कोशिश की गई थी। अशोक ने प्रजा को शासन का केंद्र माना और शासक को जनता की सेवक की तरह पेश किया। वह सभी धर्म का सम्मान करते थे। उनके निष्पक्ष न्याय, प्रजा कल्याण के कार्य, प्रशासन में जवाबदेहिता, सार्वजनिक संवाद लोकतांत्रिक मूल्यों के निकट थे।

राजपूत काल में लोकतंत्र

राजपूत काल में ग्राम पंचायतें सक्रिय थी। चुने हुए वयोवृद्ध और प्रतिष्ठित लोग स्थानीय प्रशासन का नेतृत्व करते थे। विवादों का समाधान करते थे। इसका निर्णय सर्वमान्य हुआ करते थे। राजपूत कुलप्रधानों और सामंतों की सहमति से शासन चलाते थे। सत्ता का सामंती केंद्रीकरण था। सामंत अपनी अपनी जागीर में प्रशासन, कर, न्याय संबंधी कार्य करते थे। परामर्श सहभागिता, उत्तराधिकार में सहमति और स्थानीय स्वायत्त जैसे लोकतंत्र के तत्व परिलक्षित होते हैं।

विजयनगर साम्राज्य में लोकतांत्रिक परंपराएं

विजयनगर साम्राज्य में आधुनिक लोकतंत्र के सीमित लक्षण परिलक्षित होते हैं। उर, महाजन और नाडु जैसी स्थानीय संस्थाएं थी जिसमें स्थानीय समस्याओं के विषय में विचार-विमर्श किया जाता था। प्रांतीय प्रशासन में मंडलेश्वर होते थे, जो स्थानिक प्रशासन के संचालन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते थे।

चोल काल में लोकतांत्रिक परंपराएं

राम मंदिर शिखर पर धर्म ध्वज की स्थापना के साथ प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने अपने संबोधन में भारतीय लोकतंत्र की प्राचीन जड़ों पर जोर दिया।" इस संबोधन उन्होंने उथिरा मेरुर शिलालेख तमिलनाडु का उल्लेख किया।

उथिरा मेरुर शिलालेख तमिलनाडु के कांचीपुरम में परांतक चोल प्रथम (907 से 956 ईस्वी) में बनाए गए थे आज के लोकतंत्र की विशेषताओं के अनुरूप जैसे- गांव का शासन, समितियां के चुनाव, ग्राम चुनाव प्रणाली का विवरण मिलता है। लोकतंत्र के स्वरूप की निम्नलिखित विशेषताएं उथिरामेरुर के शिलालेख में पाई जाती हैं:

1. **ग्राम सभाएं:** ग्राम सभाओं को स्थानीय भाषा में उर कहा जाता था। दो प्रकार की ग्राम सभाओं का वर्णन इस शिलालेख में मिलता है पहली सभा जिसमें विशेष रूप से ब्राह्मण व्यक्तियों की सभा होती थी। यह सभा भूमि की बिक्री, तालाबों की खुदाई के लिए धन के प्रबंधन का कार्य करती थी। दूसरा है उर, यह सभा सभी वर्गों के लोगों से मिलकर बनती थी।
2. **समितियां और चुनाव:** कार्यकारी समितियों को वारियम कहा जाता था, इसमें 6 से लेकर 12 सदस्य होते थे। इनका चुनाव गांव से होता था।
3. **कुडवोलाई प्रणाली:** यह एक चुनाव प्रणाली थी जिसमें ताड़ के पत्तों को बैलेट पेपर की तरह उपयोग किया जाता था। इस प्रणाली में उम्मीदवारों के नाम ताड़ के पत्तों पर लिखकर एक बर्तन में डाले जाते थे जो पूरी तरह गोपनीय होते थे। बहुमत के आधार पर उनका चुनाव किया जाता था। चुनाव निष्पक्ष होते थे। यह प्रक्रिया पूरी तरह से लोकतांत्रिक चुनाव प्रणाली से मिलती-जुलती है।
4. **योग्यता और कार्यकाल:** वर्तमान निर्वाचन प्रणाली में जैसे उम्मीदवारों के लिए योग्यताओं का निर्धारण किया गया है उसी प्रकार शिलालेख से प्राप्त जानकारी के अनुसार चोल प्रशासन में उम्मीदवार बनने के लिए नियम एवं शर्तें निर्धारित

थी जैसे— स्वयं की भूमि पर निवास होना, भूमि का स्वामित्व होना एवं भूमि कर योग्य हो। आयु 55 से 70 वर्ष के मध्य होना चाहिए। अपराधों में संलिप्त नहीं होना चाहिए। मंत्रों और ब्राह्मणों का ज्ञान होना चाहिए। इनका कार्यकाल एक वर्ष का होता था। अपराध या दोष सिद्ध होने पर तुरंत पद से हटा दिया जाता था। अपराधों के लिए दंड का प्रावधान था।

मुगल काल में लोकतांत्रिक परंपराएं

अकबर के शासनकाल में धार्मिक सहिष्णुता, योग्यता आधारित नियुक्तियां, सुलह ए कुल की नीति, जनकल्याण की भावना आदि लोकतंत्र के लक्षण दिखाई पड़ते हैं। अकबर के दरबार में सभी जाति वर्ग के लोग उपस्थित रहते थे। उन्होंने सांस्कृतिक समावेशिता, बहुलतावाद और सुशासन की नींव रखी। केंद्रीय प्रशासन शक्ति पृथक्करण और नियंत्रण एवं संतुलन के सिद्धांत पर आधारित थे। पूरा प्रशासन केंद्रीय प्रशासन, प्रांतीय प्रशासन और स्थानीय प्रशासन में विभक्त था। मुगल काल में लोक कल्याणकारी और प्रशासनिक विकेंद्रीकरण के तत्व थे। झरोखा दर्शन, दीवान ए आम, मनसबदारी प्रणाली विभाग (योग्यता पर आधारित) ग्राम पंचायत आदि मुगल प्रशासन में लोकतांत्रिक प्रणाली दिखाई पड़ते हैं। इनके माध्यम से प्रशासन का जनता के प्रति जवाबदेही और जन भागीदारी सुनिश्चित होते थे। जनता की शिकायत सुनने के लिए दीवान-ए-आम की व्यवस्था थी। आम जनता सीधे दरबार में पहुंचकर शिकायत कर सकते थे, न्याय की गुहार लगा सकते थे। इस प्रकार सरल न्याय व्यवस्था आम जनता को प्राप्त थी। मनसबदारी व्यवस्था के माध्यम से प्रशासनिक समावेशन की प्रक्रिया को बढ़ाया गया था और धर्म के स्थान पर योग्यता के आधार पर पद प्राप्त होता था। राजपूतों को योग्यता के आधार पर उच्च पद प्राप्त हुए थे। स्थानीय स्तर पर कानून व्यवस्था और राजस्व के लिए पंचायतें थी। किसानों को व्यवस्थित कर प्रणाली उपलब्ध कराने के लिए दहसाला प्रणाली अपनाई गई थी। (मुगल भारत में शासन और लोकतंत्र दिल्ली विश्वविद्यालय अबुल फजल) के अनुसार मुगल काल में धार्मिक सहिष्णुता, दरबार में खुली न्याय प्रणाली, परामर्शदात्री मंत्रिमंडल, निष्पक्ष न्याय प्रणाली, शिक्षा को महत्व, सांस्कृतिक बहुलतावाद आदि लोकतंत्र के गुण दिखाई पड़ते थे।

मराठा काल में लोकतांत्रिक परंपराएं

छत्रपति शिवाजी महाराज के शासनकाल में अष्टप्रधान मंत्रियों की समिति थी जिसे अष्टप्रधान के नाम से जाना जाता था। यह मंत्रिपरिषद था जिसमें मराठा शासक प्रशासनिक सलाह लिया करते थे। शासन को उचित सलाह देना एवं विपत्ति के समय शासकों की सहायता करना इनका मुख्य कार्य था। वर्तमान समय में कैबिनेट मंत्रियों का समूह उससे मिलता-जुलता है। उन्होंने विकेंद्रीकरण को सबसे ज्यादा महत्व दिया। उन्होंने शासन संहिता तैयार कराई थी। शासन में लोकतंत्र को बढ़ावा दिया।

मराठा काल में मच्छक्य अर्थात् ग्राम पंचायत प्रणाली थी जिसमें स्थानीय स्तर पर निर्वाचित या चयनित पदाधिकारी गांवों का नेतृत्व करते थे। मराठा शासन काल में पदों पर नियुक्ति योग्यता के आधार पर होते थे। विभिन्न अधिकारी प्रदर्शन पर आधारित काम किया करते थे। वह शासन के प्रति जवाबदेह होते थे। आम जनता की भलाई, किसानों का हित, स्थानीय संस्कृति और धार्मिक सहिष्णुता के आधार पर शासक अपनी नीतियों का निर्धारण करते थे। उपराष्ट्रपति अपने अभिभाषण में कहते हैं "मराठा स्वराज के सिद्धांत दुनिया भर में सार्वजनिक सेवा में अधिक दक्षता, उत्तरदायित्व और जवाबदेही की प्रेरणा देते हैं।"

निष्कर्ष

प्रस्तुत शोध पत्र में यह पाया गया कि भारत ने एकाएक लोकतांत्रिक प्रणाली को नहीं अपनाया गया है। अपितु प्राचीन काल से ही भारत की जड़ों में लोकतंत्र के गुण पाये जाते हैं, प्राचीन भारत में ग्राम पंचायत की अवधारणा, जनहित, प्रशासन में जनता की भागीदारी, शासक का कर्तव्य परायण होना आदि लोकतांत्रिक परंपराएं विद्यमान रहे हैं। प्राचीन काल से ही शासक जनमत की उपेक्षा नहीं कर पाते थे। वर्तमान समय में लोकतंत्र में जनमत ही सर्वोपरि है। भारत में सदियों से राजतंत्र होने पर भी लोकतंत्र के अंश दिखाई पड़ते हैं। जनता का महत्व हमेशा ऊंचा रहा है। राजतंत्र होने पर भी राजा जनता के हितों के अनदेखी नहीं कर पाता था। धीरे-धीरे विकसित होते-होते भारत में लोकतांत्रिक परंपराएं आज भी जीवंत हैं।

संदर्भ सूची

1. अंबेडकर, बी. आर. 2024, 11 अप्रैल) *बौद्ध धर्म और लोकतंत्र*. सम्यक प्रकाशन, नई दिल्ली।
2. महाराष्ट्र विधानमंडल के दोनों सदनों के सदस्यों को उपराष्ट्रपति का अभिभाषण भोपाल, एनडीटीवी इंडिया प्रेस सूचना ब्यूरो। (2024, 11 जुलाई) <https://pib.gov.in 01/03/2026>.

3. कुमार, मनोज (2010) *लोकतंत्र एवं विश्व शांति*, अर्जुन पब्लिशिंग हाउस, नई दिल्ली।
4. दुबे, अभय कुमार (2002) *लोकतंत्र के सात अध्याय, लोकचिंतक ग्रंथमाला*. वाणी प्रकाशन, नई दिल्ली।
5. दहीभाते, ए. सी. (2024–2025) *मध्यकालीन भारत का इतिहास: मुगल काल 1526 से 1707 तक*. रामप्रसाद एंड संस, रायपुर।
6. चतुर्वेदी, ए. के. (2024–2025) *प्राचीन भारतीय इतिहास*, एस.बी.पी.डी पब्लिशिंग हाउस, आगरा।
7. मित्तल, ए. के. (2024–2025) *प्राचीन भारत का इतिहास*. साहित्य भवन पब्लिकेशन, आगरा।
8. फड़िया, एल. बी. (2010) *भारत में लोकतंत्र*, कैलाश पुस्तक सदन, भोपाल।
9. बाशम, ए. एल. (2007) *द बंडर दैट वाज इंडिया*, सुरजीत पब्लिकेशन, दिल्ली, पृ. 33।
10. श्रीवास्तव, बी. के. एवं कुमार, सुबोध (2024–2025) *प्राचीन भारत का इतिहास*, एस.बी.पी.डी पब्लिशिंग हाउस, आगरा।
11. कौटिल्य का प्राचीन भारतीय ज्ञान प्रणाली के राजनीतिक दर्शन, अर्थशास्त्र और शासन में योगदान देवनाथ, सौमेन (2024) <https://share.google/gvUqXqEi7qtlvntLE>, Accessed date 13/03/2026.
12. पटेल, राजकुमार, भारत लोकतंत्र की जननी: एक ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य, शोधार्थी राजनीति विज्ञान एवं लोकप्रशासन अध्ययनशाला, विक्रम विश्वविद्यालय, <https://share.google/eCfc1gPxHWRCMHxCw>, Accessed date 02/03/2026.
13. नागवंशी रवि प्रताप सिंह, डॉ अविनाश प्रताप कृ भारतीय लोकतंत्र की वैचारिक ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर एक अध्ययन, <https://share.google/u02umAgRKaEpSGHTs>, Accessed date 10/03/2026.
14. सिद्धार्थ, भावना भारतीय लोकतंत्र की विकास यात्रा: चुनौतियाँ एवं समाधान, <https://share.google/E7s6JGfHeQlbzE9S8>, Accessed date 07/03/2026.
